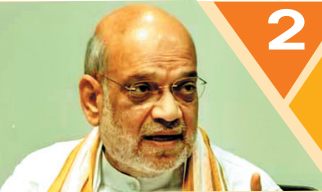


नवभारत



2

 शाह ने की 119 एसपी संग बैठक

4

 समान शिक्षा: महान नागरिक राष्ट्र की आधारशिला

9

 जी20 अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे

11

 खिताब की जंग में 8 दावेदार

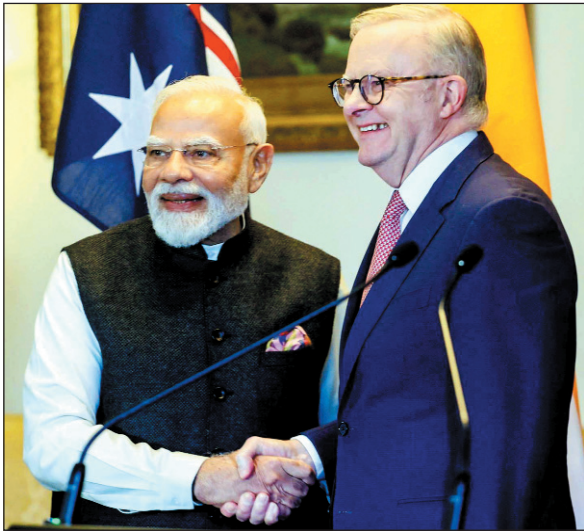
ऑस्ट्रेलिया से 18 समझौते

12 वर्षों में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं पीएम मोदी

30 हजार भारतीयों को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने

मेलबर्न, 09 जुलाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मेलबर्न में आयोजित मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में करीब 30 हजार भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वह पिछले 12 वर्षों में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आए हैं और भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है.

पीएम ने ग्रे मोर अचीभ मोर करते हुए भारतीय मूल के लोगों को प्रोत्साहित किया. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के बीच तीसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, लैटरिक्ष, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रांटम

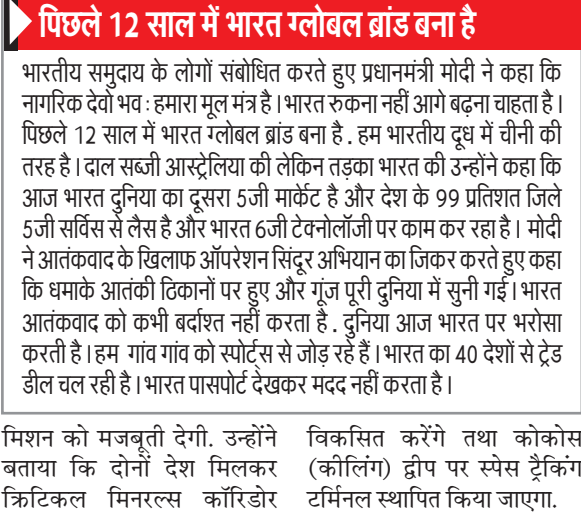


कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और निवेश सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की घोषणा की. इस दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और साइबर सुरक्षा सहित 18 क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर किये.

दोनों देशों ने वर्ष 2015 के भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत की शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम निर्यात की प्रशासनिक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति भारत के स्वच्छ ऊर्जा

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में दो लाख से अधिक पंजीकृत स्टार्टअप हैं तथा भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा और 2036 ओलिंपिक की मेजबानी का भी दावेदार है. उन्होंने यह भी बताया कि ऑस्ट्रेलियनसुप, भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा कर चुका है. पीएम मोदी ने कहा कि किसी देश में संकट के समय भारत सबसे पहले खड़ा होता है.

पिछले 12 साल में भारत ग्लोबल ब्रांड बना है



एक नजर में

मुठभेड़ का छठवां दिन, आतंकवादी की तलाश जारी श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर के मारे जाने के एक दिन बाद गुरुवार को सुरक्षा बलों ने उसके सहयोगी की तलाश जारी रखी और आतंकवाद विरोधी अभियान लगातार छठे दिन में प्रवेश कर गया. अधिकारियों ने बताया कि सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की संयुक्त टीमों ने मीमंदर-चनापोरा इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है. दो लश्कर आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद चार जुलाई को अभियान शुरू किया गया था.

यूपीए मामले में कई जगहों पर छापेमारी

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को गैर-कानूनी गतिविधि अधिनियम (यूपीए) के तहत बारामूला जिले में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की. इस दौरान फोरेंसिक जांच के लिए चार मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप जब्त किया गया. पुलिस ने बताया कि ये तलाशी अभियान बारामूला पुलिस स्टेशन में यूपीए की धारा 13 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 351(3) के तहत दर्ज प्राथमिकी के क्रम में चलाया गया. तलाशी अभियान इकबाल कॉलोनी के फराज अशरफ गोजरी, कनली बाग के वसीम अली कर, तोहीद गुंज के तनवीर अहमद मीर (उर्फ काका मीर, जो फिलहाल गुलनार पार्क, आजाद गुंज में रह रहे हैं).

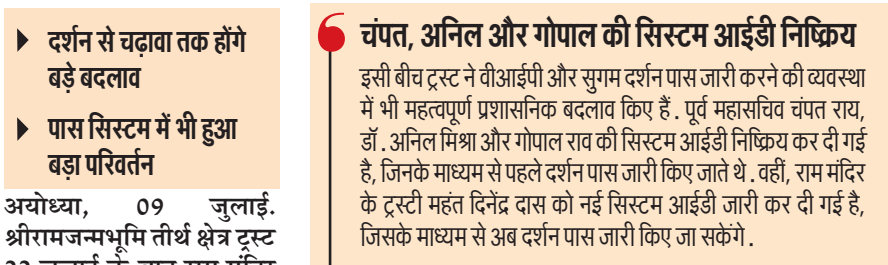
गुस्ताखी माफ



बदलेगी श्रीराम मंदिर की व्यवस्था

दर्शन से चढ़ावा तक होंगे बड़े बदलाव

पास सिस्टम में भी हुआ बड़ा परिवर्तन



अयोध्या, 09 जुलाई. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जुलाई के बाद राम मंदिर की दर्शन व्यवस्था, पूजा-पद्धति, चढ़ावा प्रबंधन, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रणाली में व्यापक बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहा है. ट्रस्ट का उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी, अनुशासित, आधुनिक

महादेव ऐप सट्टेबाजी घोटाले में 11 आरोप पत्र दाखिल

नई दिल्ली, 09 जुलाई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को महादेव ऐप सट्टेबाजी गिरोह के सिलसिले में 11 आरोपपत्र दाखिल किये जिनमें कथित भ्रष्टाचार के मामले में छह और अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क से जुड़े एक अलग मामले में पांच आरोपपत्र शामिल हैं. एजेंसी ने भ्रष्टाचार के मामले में असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के खिलाफ



भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के अपराधों के लिए छह आरोपपत्र दाखिल किये.

चंपत, अनिल और गोपाल की सिस्टम आईडी निष्क्रिय इसी बीच ट्रस्ट ने वीआईपी और सुगम दर्शन पास जारी करने की व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव किए हैं. पूर्व महासचिव चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिस्टम आईडी निष्क्रिय कर दी गई है, जिनके माध्यम से पहले दर्शन पास जारी किए जाते थे. वहीं, राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास को नई सिस्टम आईडी जारी कर दी गई है, जिसके माध्यम से अब दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे.

और श्रद्धालु-अनुकूल बनाना है। इसके लिए संत समाज और रामानंदीय परंपरा के विद्वानों से प्राप्त सूझावों को भी नई व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है. वहीं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस रिमांड के दौरान बुधवार को आरोपियों से

पूछताछ के बाद उनके ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नकदी, सोने के आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण सुराग मिलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने आरोपी अनुकल्प मिश्रा की कार भी बरामद की है.

जीतू पटवारी के छोटे भाई पुलिस हिरासत में

ब्राउन शुगर की जांच में आया नाना पटवारी का नाम

पुलिस ने हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ

नवभारत न्यूज इंदौर, 09 जुलाई. ब्राउन शुगर तस्करी की जांच के दौरान राजेंद्र नगर पुलिस की पड़ताल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण उर्फ नाना पटवारी तक पहुंच गई. दो आरोपियों से पूछताछ में उसका नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. ... > शेष पेज 12 पर

जी20 अर्थव्यवस्था में भारत सबसे आगे



हमें जूते छोड़ने की जरूरत नहीं: डॉ. यादव

नवभारत न्यूज शाजापुर, 09 जुलाई. कालापीपल विधायक घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा सड़क निर्माण नहीं होने तक जूते-चप्पल त्यागने की घोषणा के बाद मोहन यादव ने मंच से प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, 'हमारे लाडले, भोले-भाले विधायक ने यह बात कही है। हमारे राज्य में 5 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कें बनी हैं। हम इतने कमजोर नहीं हैं। हमारे जूते-चप्पल हमें दौड़ लगाने और आगे बढ़ने में मदद



करते हैं। कांटे-बाटों में भी दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने विधायक से कहा कि 'अच्छे काम और सच्चे काम के लिए हमें जूते-चप्पल

सड़क नहीं बनी तो जूते-चप्पल त्याग दूंगा

कालापीपल से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपनी विधानसभा की खराब सड़कों का मुद्दा उठाते हुए भावुक अंदाज में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 'जब तक मेरी विधानसभा की सड़कें नहीं बनेंगी, तब तक मैं जूते-चप्पल का त्याग करता हूँ। चाहे 10 साल लग जाएं, लेकिन सड़क बनने तक मैं जूते-चप्पल नहीं पहनूंगा। ... > शेष पेज 12 पर

ईरान के परमाणु ठिकानों के पास हमले

दो दिनों में 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले

तेहरान/वॉशिंगटन, 09 जुलाई. मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने बुशहर परमाणु बिजली संयंत्र के निकट हवाई हमला किया, जिसके बाद क्षेत्र में आग और धुएं के गुबार देखे गए. वहीं अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के अनुसार पिछले दो दिनों के दौरान ईरान के 170 से अधिक सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए.



अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक, इन सैन्य अभियानों में ईरान के वायु रक्षा तंत्र, ड्रोन और मिसाइल भंडार, सैन्य स्पीड बोट तथा होर्मुज जलडमरूमध्य के निकट स्थित तटीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. अमेरिका

का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज क्षेत्र में जहाजों पर हुए हमलों के जवाब में की गई. दूसरी ओर, ईरान ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर, कुवैत और बहरीन में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ड्रोन हमले किए. ईरानी सेना के अनुसार इन हमलों में कुवैत के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, कतर के अली वॉर्निंग सैटेलाइट एंटीना और बहरीन में अमेरिकी सेना के ईधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया गया.

अतिक्रमण पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

नई दिल्ली, 09 जुलाई. अवैध कब्जों और नियमों की अनदेखी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निकायों को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते अवैध निर्माण और हालिया अग्निकांडों का जिक्र करते हुए अधिकारियों की भूमिका पर नाराजगी जताई.

कोर्ट ने पूछा कि अवैध कब्जों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई और जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कदम उठाए गए. जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस शील नागू की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा



अधिकारियों की मिलीभगत पर जताई नाराजगी

दोस कदम नहीं उठाने पर अवमानना की चेतावनी

कि घटनाओं के बाद अक्सर केवल बिल्डिंग या निजी लोगों पर कार्रवाई होती है, जबकि संबंधित

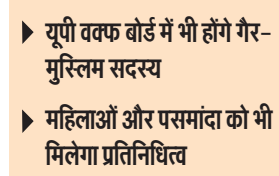
कोर्ट ने दिल्ली के लाजपत नगर, साकेत और सरोजनी नगर जैसे इलाकों का सर्वे कराया का निर्देश दिया है. इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी, जिसमें आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर, तकनीकी विशेषज्ञ, एमसीडी अधिकारी और अदालत द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि शामिल होंगे. समिति क्षेत्र में निर्माण की स्थिति और सुरक्षा मानकों की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी. अदालत ने 20 मई के अपने पुराने आदेश का भी जिक्र किया, जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर निर्देश दिए गए थे.

क्षेत्रों के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाती. अदालत ने सरकारी अधिकारियों की संभावित मिलीभगत पर चिंता जताते हुए नगर निकायों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मालवीय नगर में हुए अग्निकांड, लखनऊ में

यूपी वक्फ बोर्ड में महिलाओं को भी मिली जगह

यूपी वक्फ बोर्ड में भी होंगे गैर-मुस्लिम सदस्य

महिलाओं और पसमांदों को भी मिलेगा प्रतिनिधित्व



लखनऊ, 09 जुलाई. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वक्फ बोर्डों के पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्तावित नई व्यवस्था के तहत सुनी वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों, दो मुस्लिम महिलाओं और पसमांदों को प्रतिनिधित्व दिए जाने की तैयारी है. राज्य के कल्याण पंजी दानिश आजाद अंसारी ने पुष्टि की है कि यूपी के नए वक्फ बोर्ड में महिलाओं और पसमांदा मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा. सरकार का कहना है कि यह कदम वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के अनुरूप उठाया जा रहा है और इसका उद्देश्य वक्फ बोर्ड का कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी तथा समावेशी बनाना है। प्रस्तावित



व्यवस्था के अनुसार सुनी वक्फ बोर्ड में कुल 11 सदस्य होंगे, जिनमें एक अध्यक्ष और 10 सदस्य शामिल रहेंगे। इन सदस्यों में दो गैर-मुस्लिम, दो मुस्लिम महिलाएं तथा पसमांदा मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाएगा। सरकार के अनुसार नए बोर्ड के गठन के बाद वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सुनी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल मार्च 2026 में समाप्त हो चुका है, जबकि शिया वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर 2026 में पूरा होगा।

वक्फ (संशोधन) कानून, 2025 के तहत अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं को अनिवार्य रूप से शामिल करने का प्रावधान किया गया है. मध्य प्रदेश नई समिति में चार महिलाओं को जगह देकर ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर बोर्ड का पुनर्गठन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का कदम- मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 10 सदस्यीय बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्यों के साथ-साथ महिलाओं को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की तैयारी- यूपी में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन को लेकर चर्चा तेज है।